सेवा में,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,

सोनपुर , छपरा(सारण),

दिनांक - 28/03/2024

**विषय** - गलत रकबा का दाखिल ख़ारिज याचिका संख्या **2325/2023 - 2024** को निरस्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदया,

निवेदन है कि सोनपुर अंचल के खरिका ग्राम में हमारा पुस्तैनी जमीन है, जिसका खाता संख्या - 445, खेसरा संख्या - 470, एवं रकवा - 18 डिसमल था। ज़मीन के रैयत का नाम अशोक कुमार सिंह, सुरेंद्र कुमार सिंह , उपेंद्र कुमार सिंह, राधाचरण सिंह , नागेंद्र कुमार सिंह है।

महोदय, वर्ष 2016 में आपसे बटवारे में 5 भाइयों को बराबर नक्से हिस्सा के अनुसार ज़मीन मिली थी । वास्तविक ज़मीन के अनुसार सभी रैयत को बराबर 2.882 डिसमल ( 15 धूर) ज़मीन मिली थी। पर एक रैयत सवर्गीय राधाचरण के पुत्र राजीव रंजन सिंह ने गलत दाखिल ख़ारिज केस नंबर 2087 करा के वर्ष 2023 में 3.6 डिसमल ज़मीन का दाखिल ख़ारिज करा लिया एवं उस ज़मीन को 2023 में दीड नंबर 2839 से धर्मशीला सिंह को रजिस्ट्री भी कर दे है। धर्मशीला सिंह ने भी 3.6 डिसमल ज़मीन का दाखिल ख़ारिज करा लिया है जो के गलत रकबा है वास्तविक में नक्से के अनुसार 2.882 डिसमल ज़मीन है जिस पर बाउंड्री भी किया हुआ है।

अतः महोदय से अनुरोध है के धर्मशीला सिंह के दाखिल ख़ारिज सुधि पत्र 2325/2023 - 2024 को निरस्त किया जाये।

संलग्न - 5 भाइयों का आपसे बटवारा 1000 स्टाम्प रसीद,

धर्मशीला सिंह का सुधि पत्र,

आपका विश्वासी,

सुरेंदर कुमार सिंह ,

अशोक कुमार सिंह

ग्राम + पो - खरिका

जिला - सारण